International Journal of Sociology and Political Science
www.sociologyjournal.in
Online ISSN: 2664-7745, Print ISSN: 2664-7737
Received: 13-02-2022, Accepted: 01-03-2022, Published: 15-03-2022
Volume 4, Issue 1, 2022, Page No. 19-22

अबुल फजल का शासन तथा राजशाहीः एक अध्ययन

अखिलेश पाल
सहायक प्राध्यापक, राजनीति शास्त्र विभाग, ईश्वर शरण पी. जी. कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश
जहाँ बरनी दिल्ली सल्तनत का महान विचारक था वहीं अबुल फजल भी मुगल काल, खासकर अकबर के शासन का महान विचारक था। मुगल शासन, प्रशासन का व्यवस्था, बादशाहत तथा धर्म के सबंध में जो स्टीक विचार हमें अबुल फ़जल के लेखन में मिलते है वह अन्यत्र नहीं मिल सकते। मुगलकाल में भी 'बादशाह' का स्थान केन्द्रीय था जिसका नियंत्रण न केवल शासन बल्कि प्रशासन पर भी था संभवतः इसी कारण अकबरकालीन मुगल साम्राज्य पहले के मुस्लिम शासकों के मुकाबले अधिक केन्द्रीकृत सुदृढ़, विस्तार तथा स्थिर साबित हुआ। बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य प्रभुसत्ता के तुर्क मंगोल सिद्धांत पर आधारित विचार था जिसमें बादशाह को सर्वोच्च तथा अंतिम शक्ति माना गया है।

मूल शब्दः अबुल फजल, शासन, राजशाही, बादशाहत

प्रस्तावना
बादशाहत (पादशाही) की व्याख्या करते हुए अबुल फजल ने स्पष्ट किया है कि –''पद'' शब्द का अर्थ है स्थायित्व और स्वामित्व तथा 'शाह' शब्द का अर्थ है मूल स्वामी। अतः बादशाह का अर्थ है शक्तिशाली स्वामी जिसे कोई अपदस्थ न कर सके। मुगलकालीन शासन व्यवस्था में बादशाह का स्थान सर्वोच्च था वह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्यायिक और धार्मिक सभी शक्तियों का एकमात्र स्रोत था। बादशाहत का यह विचार इस्लामी, मंगोल, तुर्की, ईरानी और भारतीय राजनीतिक परंपराओं का मिश्रण था। अबुल फज्ल के अनुसार 'बादशाहत' खुदा से निकलने वाली रोशनी (फर्र–ए–इज्दी) है जिसे खुद खुदा ने ही पृथ्वी पर भेजा है। परंपरागत विचारों के अनुसार भी बादशाह को खुदा की ही परछाई माना गया है। क्योंकि बादशाह पर खुदा का नूर बरसता है। इसलिए बादशाह 'खुदा के दूत के रूप में काम करता है। खुद को पिता तथा प्रजा को अपनी संतान मानता है। इसलिए बादशाह का यह फर्ज है कि वह अपनी प्रजा की खुशहाली हेतु हर सम्भव प्रयास करें, उसके अर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक हर पहलू पर ध्यान दे तथा हर तरह की समस्या का समसधान करें। यहद बादशाह चाहता है कि राज्य में सुख, वैभव,
शान्ति सुकून बरकरार रहे तो उसे सदैव अपनी प्रजा के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए।

बादशाहत में छिपी सम्प्रभुता की शक्ति
स्वयं को खुदा का दूत मानते हुए, बादशाह अपनी अविभाज्य शक्ति का उपयोग करते हुए, अपने अधीनस्थ राज्य या इलाकों 'एक नियम एक नियामक, एक मार्गदर्शक, एक उद्देश्य और एक ही विचार के अनुसार अपनी प्रभुसत्त स्थापित करता है। अबुल फजल ने बादशाह को एक प्रजा पालक भी माना है इसलिए जनता का भी दायित्व है कि वह अपने पालनहार का आदर करें, उसके हर हुक्म को माने। किन्तु साथ हो अबुल फजल मानता है कि बादशाह में सभी उत्कृष्ठ गुण मिलने के बावजूद भी यदि वह किसी के साथ धर्म, जाति, वर्ण या संप्रदाय आदि के आधार पर भेदध्भाव करता है तो वह पादशाहत (बादशाही) को पदवी तथा गरिमा को धारण करने का अधिकारी नहीं माना जा सकता। अबुल फजल द्वारा प्रतिपादित बादशाहत भी 'निरंकुश राजतंत्र' की ही अवधारणा थी। जैसा कि पहले से ही माना जाता रहा था कि बादशाह की संप्रभुता अत्यधिक केन्द्रीयकृत तथा निरंकुश राजतंत्र की अवधारणाा पर आधारित है, इसके तहत सम्राट का चमत्कारी शक्तियों से युक्त प्रदर्शित किया जाता था कि उसके सताधिकार को चुनौती देना लगभग असंभव था। शासन में केन्द्रीय धुरी होने के कारण सम्प्रभु बादशाह को सत्ता में कोई भागीदार नहीं बन सकता था। शासन, प्रशासन, उद्योग, वित्त, वाणिज्य, प्रांतीय प्रशासन, संचार व्यवस्था, कृषि, शिक्षा तथा व्यापार तक किसी भी क्षेत्र में बादशाह ही अंतिम निर्णायक होता था। सम्प्रभु बादशाह के एकाधिकार पर यदि कोई सीमा थी वह थी धर्म की 'शरीयत' की, किंतु अकबर ने धर्म के क्षेत्र में भी स्वयं को सर्वोच्च घोषित कर दिया था। मुगलकालीन अकबर–राज में बादशाह ही सर्वोच्च था, यहाँ तक कि कुरान का कानून भी उस पर बाध्यकारी नहीं थाा। यही कारण था कि अकबर को इमाम–ए–आदिल की पदवी के साथ, धर्म–संबंधी विवादों के मामले में भी अंतिम निर्णायक और वैचारिक रूप से उच्चतम पद भी मिल गया था। इस तरह यदि आधुनिक भारतीय राज्य से अकबरकालीन राज्य की तुलना करें तो हम पाते है कि आधुनिक राज्य में जहाँ कार्यपालिका, विधानपालिका तथा न्यायपालिका तीनों अलग–अलग संस्थाओं में निहित है तथा तीनों का एक–दूजे पर नियंत्रण है जो कि शक्ति–पृथक्करण तथा नियंत्रण के अमरीकी सिद्धांत पर आधरित है वही अकबर कालीन राज्य में अकबर ही कानून बनाने वाला सर्वोच्च सम्प्रभु है। वहीं कानूनों का पालन कराने वाला कार्यपालक हैं तथा न्याय के क्षेत्र में भी वहीं अंतिम न्यायधीश है। अबुल फजल के अनुसार राजशाही धरती पर अल्लाह द्वारा भेजी गई रोशनी है, इसलिए यही संपूर्णता की कुंजी है और हर तरह के ज्ञान का पात्र 'बादशाह' है। आधुनिक भाषा में राजशाही के इस नूर को 'फर्र–ए–इज्दी'

(पवित्रनूर) और पुरातन भाषा में इस क्रियान खुश (लोकोनर महान प्रभामण्डल) कहा गया है। और अल्लाह ने यह नूर, बिना किसी मध्यस्थ के प्रत्यक्ष से बादशाह को बख्शा है। इस नुर के साथ ही कुछ महान गुण भी उसमें है जो इस प्रकार है। (1) जनता के प्रति पितृत्व प्रेम : साम्प्रदायिक मतभेदों के बावजूद भी राज्य में संर्घष न हो। इसके लिए जरूरी है कि बादशाह जनता को पिता के समान प्रेम करें। उसकी बुद्धि उसके युग की जन इच्छाओं व लालसा को समझे और अपनी योजनाओं को उसी के अनुरूप ढाल दे। (2) एक विशाल हृदय : किसी प्रकार की असम्मति उसे भ्रमित या निराश न करें। हौंसले से वह अपने कार्य करें अच्दे काम करने वालों को पुरस्कार व प्रोत्साहन तथा बुरे काम करने वालों को दण्ड दे। अमीर व गरीब की इचछाओं की पूर्ति हेतु वह प्रयारत रहें। अपने कार्यो में शीघ्रता से प्रयास करे आज का काम कल पर न टाले और बादशाह के हाथों किसी का अहित न हो। (3) अल्लाह में अटूट विश्वास : जब वह कोई कार्य करे तो अल्लाह को ही वास्तविक कर्ता माने और स्वयं को माध्यम। तब राज्य में होने वाले कार्य अच्छे मकसद से ही होगें और मतभेद व समस्याएँ उत्पन्न नहीं होगी। (4) दुआएँ और समर्पण : अपनी सफलताओं में अल्लाह को वह न भूले। मानवीय भावनाओं में खोकर अपना समय बर्बाद न करें। बुद्धि और विवेक का सम्मान व श्रद्धा की दृष्टि से देखे। न्याय करते समय स्वयं को अपराधी की जगह रखकर सोचे और तब न्याय करें। और न्याययाची को ना–उम्मीद न होने दे। वह सृजनकर्ता की आज्ञाओं का पालन करते हुए लोगों के जीवन को खुशियों से भरता रहे। किन्तु उसका नय विवेक पर आधारित हो। कुतर्क करने वालों की गलती क्षमा न करें। वह हमेशा सत्यवादी लोगों को खोजे और चापलूसों से बचे। हिंसा व असंतोष को राज्य मे न पनपने दे और लोगों को न्याय तथा सुशासन प्रदान करें।

वास्तव में सिद्धांत आधुनिक समय के 'शक्ति पृथक्करण तथा नियंत्रण' के सिद्धान्त का बिल्कुल ही विपरीत सिद्धांत है। जिसमें जनता को केवल मूकदर्शक माना गया है और सभी शक्तियों का स्रोत बादशाह है। इस राज्य में क्योंकि बादशाह पर किसी व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं हैं तो निस्संदेह यह गुजाइंश है कि बादशाह निरंकुश होकर मनमानी करें। किन्तु यहाँ पर अबुल फजल का यह मानना है कि बादशाह कभी निरंकुश नहीं हो सकता क्योंकि वह तो खुदा की परछाई है। जो भी खुदा का हुक्म है वही बादशाह मानता है और खुदा का मार्गदर्शन कभी गलत नहीं हो सकता। क्योंकि बादशाह पर खुदा का नूर बरसता है इसलिए जनता का भी यही दायित्व है कि वह अपने बादशाह के हर फैसले का पालन बिना शक–संदेह के करें। अबुल फजल के अनुसार बादशाह तो जनता का पिता है और यदि एक पिता अपने बच्चों को डाटता–फटकारता भी है तो वह भी उसके बच्चों की भलाई के लिए होता हे। इसी प्रकार यदि बादशाह का कोई कार्य जनता को कठोर, सखती भरा, गलत या संदेहास्पद लगे तो भी उसमें जनता का हित ही छुपा होगा। इसीलिए जनता को अपने बादशाह पर विश्वास करते हुए उसके हर फैसले को मानना चाहिए। यही कारण रहा है कि अबुल फजल के अकबर के हर कृत्य को न्यायपूर्ण ठहराया। यहां हमें एक बात माननी होगी कि अबुल फज्ल निसंदेह अकबर का अंधभक्त था इसीलिए उसे अकबर सदैव एक पूर्ण मनुष्य के रूप में दिखाई दिया जो कभी गलत हो ही नहीं सकता। इसी अंधभक्ति के परिणामस्वरूप उसने अकबर में ही खुदा को देख लिया जो कि परा–प्राकृतिक विचार है।

बादशाहः विधानपालक तथा कार्यपालक के रूप में

राजतंत्र को अबुल फजल दैवीय संस्था मानते हैं। उनके अनुसार समाज में लड़ाइयों के अंत तथा शांति स्थाना हेतु इसकी परम आवश्यकता है, इसके अभाव में समाज की परस्पर विरोधी शक्तियाँ आपसी मार–काट में मानव जाति को समाप्त कर लेंगी। अबुल फजल के अनुसार एक बादशाह को इस राजतंत्र का प्रयोग अपने स्वार्थ सिद्धि, अपने भौतिक आनन्द की पूर्ति या शक्ति तथा प्रतिष्ठा को भूख शांत करने के लिए नहीं करना चाहिए। बल्कि इस राजतंत्र के जरिये वह केवल जनकल्याण को बढ़ावा ही दें। इसके लिए जरूरी है कि बादशाह अपने राज्य में ऐसे कानूनों का निर्माण करवाए जो लोगों के जीवन में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक खुशहाली तो लाए ही, साथ ही राज्य में इन कानूनों से शान्ति भी बनी रहे। लोगों में आपसी भाईचारा तथा मित्रता लेते रहना चाहिए तथा इस राजा को समय–समय पर अपने राज्य का जायजा लेते रहना चाहिए तथा इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि कानून और व्यवस्था बनी रहे। एक शासक को न्यायप्रिय, बुद्धिमान, बहादुर, उदार, न्यायप्रिय, सहिष्णु, निष्पक्ष तथा दयालु होना चाहिए। साथ ही शासक को हमेशा जनता की हर जरूरत के प्रति सचेत होना चाहिए तथा अल्लाह के प्रति प्रार्थी और जनता के प्रति समर्पित होना चाहिए। अबुल फजल का मानना था कि चूंकि बादशाह अल्लाह की परछाई है, इसलिए वह किसी मानवीय कानून से नहीं बंधा है। वह अपने कार्यो के लिए किसी मानवीय संस्था के प्रति जवाबदेह भी रहीं है। वह तो केवल अल्लाह के हुक्म से काम करता हैं उसी के प्रति जवाबदेह है। किसी मानवीय संस्था को यह अधिकार भी नहीं है कि वह शासक के किसी कार्य की जांच पड़ताल करें। इस विश्लेषण से यह प्रतीत होता है कि चूंकि जनता राजा से उसके कार्यो के बारे में कोई भी प्रश्न नहीं कर सकती इसलिए राजा निरंकुश हो सकता है। जनता के पास इस राजा को हटाने का यहाँ पर केवल एक ही माध्यम नजर आता है कि जनता क्रांन्ति करके राजा को गद्दी से हटा दे। आधुनिक भारतीय राज्य में अबुल फजल का राज्य काफी अलग है। आज के भारतीय राज्य में अंतिम शक्ति जनता के हाथों में है वह पांच वर्ष के बाद सरकार बदल सकती है, लेकिन अबुल फजल के राज्य में बादशाह ही सर्वोच्च सत्ता है। यहाँ एक प्रश्न हमारे सामने उभरता है कि – क्या अबुल फजल का यह बादशाह तानाशाह भी हो सकता है? ऊपरी अध्ययन से तो यही नजर आता है, किन्तु सूक्ष्म और गहन अध्ययन करने पर पता चलता है कि आधुनिक समय की ही तरह, इस बादशाह पर भी अपने प्रशासकों, वजीरों व सुबेदारों के सुझावों परामर्श व मार्गदर्शन का नियंत्रण हमें दिशाई देता है। स्वयं फज्ल का भी मानना है कि राजतंत्रीय व्यवस्था केन्द्रीकृत शासन पर आधारित होगी तथा प्रथागत नियमों पर आधारित होगी और इसके लिए हमें एक संपूर्ण प्रशासन की आवश्यकता होगी जिसके तहत राज्य के प्राधिकार का विभाजन होगा और शंहशाह इन विभिन्न अधिकारियों को नियुक्त करेगा जो राज्य के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देंगे। हालांकि अंतिम शक्ति शंहशाह में ही निहित होगी। किन्तु फिर भी अबुल फजल का मानना है कि एक व्यक्ति राज्य के सभी दयित्व संभालने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए प्रशासक बादशाह की सहायता के लिए थे। किन्तु यहाँ भी शहंशाह के कार्यों पर स्पष्ट सीमाएँ नहीं दिखती, जैसा कि आधुनिक भारतीय राज्य में हैं। उस समय कानूनों को बताने वाली कोई संस्था नहीं थी, जैसे आज न्यायपालिका है। उस समय केवल कुरान के प्रति ही शंहशाह प्रतिबद्ध था, और अंतिम प्राधिकारी सत्ता शंहशाह ही था तब उस समय की जनता

को वास्तव में शंहशाह की दास प्रतीत होती है न कि आज की तरह स्वतंत्र नागरिक। अबुल फजल ने एक मूर्ख संर्कीण विचारों वाले बादशाह और आदर्श बादशाह में अन्तर स्पष्ट किया है। फजल के अनुसार दोनों तरह के शासकों के पास एक बृहद् राजकोष एक विशाल सेना, चालाक सेवक, आज्ञाकारी जनता, बुद्धिमान व्यक्तियों का खजाना, दक्ष कार्यकर्ता और मनोरंजन के साधनों की अतिशायता होती है। एक गहन अर्न्तदृष्टि रखने वाला बुद्धिमान व्यक्ति ही इन दोनों प्रकार के शासकों में इन सब चीजों की सामानता के बाद भी अन्तर देख सकता है। यह अन्तर फजल बताते है कि जहाँ एक एक सच्चा बादशाह अन्त समय तक इन सब चीजों को पाने पर भी घमण्डी या मिथ्याभिमानी नहीं होता, वहीं एक स्वार्थी शासक घमण्डी व दुराचारी होता है। जहाँ सच्चा शहंशाह इन सब चीजों से कोई मोह नहीं रखता इन्हें अल्लाह की सम्पत्ति समझता है। वहाँ एक स्वार्थी शासक इनके लाभ में फंसकर व्यक्तिगत हित को ही सर्वोपरि मानता है। एक सच्चा शहंशाह लोगों दुख, पीड़ा, असंतोष व राज्य में फेले अत्याचार, उत्पीड़न व अशांति की समाप्ति को अपना कर्तव्य समझता है और जनता को वह सब उपलब्ध कराना चाहता है जो अच्दा है, जिससे राज्य एक सभ्य–समाज का रूप ले सके व लोगों को सद्–जीवन की प्राप्ति हो। सुरक्षा, स्वास्थ्य शुचिता, न्याय, मृदु व्यवहार, श्वास, सत्य तथा इन सभी प्राप्ति हेतु वह गंभीरता से प्रयासरत रहता है और जनता को अपनी सन्तान मानता है। लेकिन एक स्वार्थी राजा राजशाही के ठाट बाट में डूबकर, घमण्डी, दुराचारी, अन्याश और क्रर बन सकता है । जनता को केवल अपना गुलाम व दास समझता है और केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति व मनोरंजन में ही सारा समय बर्बाद करता है। उसके राज्य में हर तरफ असुरक्षा, अराजकता, अस्थाबित्व, असत्य, भ्रष्टाचार, दमन व उत्पीड़न, विश्वासघात और चोरी डकैती का मालौल होता है। स्वयं जनता को अपने शासक से लगाव नहीं होता। इस प्रकार अबुल फजल अपने आदर्श शासक में एक सच्चे शहंशाह को देता है। और यह सभी गुण वह अकबर में ही पाता है, मसलन एक जगह फजल कहता है कि बादशाह में आठ गुणों का होना आवश्यक है – ऊँची किस्मत, दुर्लभ साहस, विजय की शक्ति, प्रशासन की क्षमता, क्षेत्रों के परिष्कार (विकास) पर ध्यान, धर्मपरायण लोगों के कल्याण के प्रति शुद्ध अभिप्राय, सेना का पालन–पोषण और उसे विध्वंस से रोकना और जब फज्ल कहते हैं कि 'बादशाह खुदा की नेमत है' और यह कि किसी बादशाह के आवश्यक गुणों में एक 'सार्वभौम शांति का सूत्रपात करना तथा मानवता के हर वर्ग और हर धार्मिक पंथ को सम्मान देना, किसी एक को सगा और दूसरों को पराया न मानकर हर एक के प्रति समान अनुग्रह रखना है तो वह किसी सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं करते, बल्कि शासक के रूप में अकबर के अदंर उनकी राय में जो गुण थे उन्हीं का वर्णन करते हैं।

सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में बादशाह

अबुल फजल ने अपने आदर्श बादशाह को हर क्षेत्र में सर्वोच्च अधिकार प्रदान किये थे तब न्याय का क्षेत्र कैसे बचा सकता था। यहाँ भी फज्ल बादशाह को ही अंतिम न्यायधीश मानते हें। अबुल फजल के अनुसार बादशाह पर खुदा की रहमतें बरसती है। वह खुदा की परछाई है। इसलिए न्यायधीश के रूप में जब वह कोई फैसला करता है तब कभी गलते नही हो सकता। बादशाह को अबुल फजल एक अर्द्धदैवीय व्यक्ति मानते हुए कहता है कि जनता को सर्दव उसके प्रति वफादार तथा सच्चा होना चाहिए। बादशाह का भी यह दायित्व बनता है कि वह अपनी जनता को न्याय प्रदान करें तथा मायूस न होने दे। सदैव, पापियों और जुल्म करने वालों को दण्ड दें तथा निर्दोष लोगों को इंसाफ व सहारा दें। अबुल फजल के अनुसार, बादशाह को न्याय करते समय, निष्पक्ष, दयालु, सहिष्णु तथा जनमा को अपनी सन्तान तथा स्वयं को पिता–तुल्य समझना चाहिए। साथ ही बादशाह स्वयं को ऐसा न्यायधीश माने जिसे अल्लाह ने इस पृथ्वी पर शांति और अमन को कायम रखने के लिए भेजा है। वह एक ऐसा माध्यम स्वयं को माने जिसे जनकल्याण के लिए इस जहाँ में अल्लाह द्वारा भेजा गया है। न्याय करते वक्त वह सदैव निष्पक्ष रहे तथा इस बात का ख्याल रखे कि उसके जरिये किसी का अहित न हो। न्याय करते वक्त वह स्वयं को उत्तरदायी समझे उसके फैसले पारदर्शिता पूर्ण हों। वह सैदव अपने राज्य को एक सभ्य समाज बनाने का प्रयास करें। वह अपनी जनता की मूलभूत जरूरतों का पूरा ख्याल रखे, ताकि लोग चोरी, डकैती के बारे में सोचे ही नहीं। न्याय करते समय बादशाह स्वयं को अपराधी की परिस्थितियों में रखने का प्रयास करें। अर्थात् यदि वह स्वयं उस स्थिति में होता तब क्या वह स्वयं यह अपराध करने से बच पाता। वह न्याय करने से पहले उस परिस्थिति के प्रत्येक पहलू की जांच पड़ताल तथा विचार करें जिसमे यह अपराध हुआ है इसके पश्चात् ही वह कोई फैसला सुनाए। बादशाह यदि अपने राज्य में अच्दाई को बढ़ाना चाहता है तो उसे सदैव अच्छे कार्य करने वालों को पुरस्कृत तथा बुरे कार्य करने वालों को दण्ड देना चाहिए। ताकि लोग बुरे काम करने से डरे तथा अच्छाई की तरफ आकर्षित हों।

सन्दर्भ

1. अवस्थी, ए.पी., 2015, भारतीय राजनीतिक विचारक, लक्ष्मी नारायन अग्रवाल, आगरा।
2. अल्तेकर, ए. एस., 2009, स्टेट एण्ड गर्वनमेंट इन एनशिएंट इण्डिया, मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशर्स।
3. बन्दोपाध्याय, एन.सी., 1980, डेवेलपमेंट ऑफ हिन्दू पॉलिटी एण्ड पॉलिटिकल थ्योरी, मुंशीराम मनोहर लाल पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
4. घोषाल, 1966, ए हिस्ट्री ऑफ इण्डियन पॉलिटिकल आइडियाज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, मद्रास।
5. गाबा, ओ.पी., 2015, भारतीय राजनीतिक विचारक, मयूर पेपर बैक्स
6. मेहता, वी.आर., 1992, फाउण्डेशन ऑफ इण्डियन पॉलिटिकल थॉट, मनोहर पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
7. पाठक, रश्मि, 2004, भारतीय राजनीनिक विचारक, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
8. प्रसाद, बेनी, 1974, थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट इन एनशिएंट इण्डिया, सेंट्रल बुक डिपो, इलाहाबाद।
9. राव, एम.वी. कृष्णा, 1979, स्टडीज इन कौटिल्य, मनोहर लाल पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
10. शर्मा, गोविन्द प्रसाद, 2009, प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक एवं विचारधाराएँ, म. प्र हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।
11. सेलटोर, बी.ए., 1963, एनशिएंट इण्डियन पॉलिटिकल थॉट एण्ड इन्स्टीट्यूशन्स, एशियापब्लिशिंग हाउस।
12. त्यागी, रुचि, 2010, भारतीय राजनीतिक चिंतन, हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली।

13. वर्मा, वी.पी., 2014, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन, लक्ष्मी नारायन अग्रवाल, आगरा।